रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक 2 ● कानपुर 16 से 30 जून 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

लखीमपुर खीरी ज़िले के गोला गोकरननाथ में चल रहे –

तथाकथित मेडिकल कालेज में पड़े प्रशासन के छापे

प्रदेश के तराई क्षेत्र में लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर जिला लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ क्षेत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चल रहे दो मेडिकल कालेजों में स्थानीय प्रशासन ने छापे मारे और नोटिसे जारी की। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कई विद्यालय संचालित हो रहे है इन विद्यालयों को विभिन्न संस्थायें संचालित कर रही है जबकि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का अधिकार केवल प्रदेश की एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था बोर्ड आफॅ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 को प्राप्त है जिसके लिए प्रदेश के चिकित्सा अनुभाग – 6 ने 4 जनवरी 2012 को शासनादेश जारी कर इस संस्था को कार्य करने का अधिकार प्रदान किया है। 4 जनवरी,2012 के आदेश को क्रियान्वित करने हेतु प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक द्वारा 2 सितम्बर 2013 एवं 14 मार्च,2016 को आदेश जारी किये जा चुके है और इन आदेशों का क्रियान्वयन भी प्रारम्भ हो चुका है अन्य संस्थाये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्यालयों का संचालन कर रही है उनके क्या अधिकार है ?यह वही जानते है। प्रदेश में हर व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है बशर्ते प्रदेश में कार्य करने के लिए जो आवश्यक नियम और उपनियम है उनके अनुसार ही कार्य किया जाये जब नियम विरूद्ध कार्य किया जाता है तो कभी न कभी उसके परिणाम भी सामने आते है । लखीमपुर में जिन दो विद्यालयों में प्रशासन द्वारा छापे मारे गये उनमें से एक विद्यालय का संचालन तेलंगाना राज्य से दूसरा विद्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकत्ता की संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है इन विद्यालयों में जब प्रशासन ने छापा मारा और प्रबन्धकों से बातचीत की तो कोई भी प्रबन्धक ऐसा जवाब नहीं दे सका जिससे कि जांचअधिकारी संतुष्ट हो जाते। एक प्रबन्धक से जब विद्यालय संचालन की अधिकारिता की जानकारी ली गयी तो प्रबन्धक महोदय ने कहा कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार प्राप्त है उसी के आधार पर वे कार्य कर रहे है लेकिन जब जांच अधिकारियों ने पंजीयन के सम्बन्ध में वार्ता की तब प्रबन्धक महोदय इधर उधर की बाते करने लगे यही हाल दूसरे विद्यालय के प्रबन्धक का था वह भी कोई ऐसा जवाब नहीं दे सके कि जिससे कि अधिकारी संतुष्ट हो जाते पंजीयन के मुददें पर यह प्रबन्धक गोल मोल जवाब देते रहे। परिणाम स्वरूप अधिकारियों ने प्रबन्धकों को नोटिस देकर 3 तीन के अन्दर नोटिस का जवाब देने को निर्देशित किया यहा तक तो ठीक था लेकिन जनपद के जिला होम्योपैथिक अधिकारी डा. संगीता अनिरूद्ध ने यह बयान देकर कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम की कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। मीडिया को एक मसाला दे दिया इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की छवि पर बुरा असर डालने का असफल प्रयास जिला होमोपैथिक अधिकारी द्वारा किया गया । जैसे ही यह समाचार बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 को प्राप्त हुआ बोर्ड ने तत्काल सारी सूचनाये एकत्र की और अधिकारियों से पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया यहां पर यह बताना उचित होगा कि लखीमपुर शहर में बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा सम्बद्ध एम. एस.डी.इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्सटीट्यूट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की स्थिति एवं छवि को कोई आंच न आवे इसलिए बोर्ड तत्काल सक्रिय हो गया और बोर्ड के प्रभारी रजिस्ट्रार श्री मिथलेश कुमार मिश्रा ने जनपद के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सत्यता से अवगत कराया । श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया कि जिला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा यह कहना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है कतई उचित नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित चिकित्सा पद्धति है एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी – होम्योपैथी की परिभाषा से आच्छादित नहीं है अपनी बात की पुष्टि के लिए विधि विभाग की राय जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी। श्री मिश्रा ने पंजीयन के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहां इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रजिस्ट्रेशन के प्राविधान का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि इस हेतु उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4445/इकत्तर –आयुष–1–15–डब्लू –283/2014 लखनऊ दिनांक 29 जनवरी,2016 से स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

आपको यह भी जानना चाहिये कि 29 जनवरी 2016 के आदेश में क्या है दर असल मूल विषय चिकित्सकों द्वारा रोगियों के समस्त प्रपत्रों एवं जानकारियां देने सम्बन्धी एक मुकदमे मे दिये गये निर्णय के अनुसार जो कि वर्ष 2014 में दिया गया था वर्ष 2014 में यह कहा गया था कि समस्त चिकित्सक अपना पंजीयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में करायेंगे लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक अपना पंजीयन मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ साथ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी एवं जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहा करायेंगे लेकिन 29 जनवरी 2016 को इस आदेश में संशोधन किया गया और नई व्यवस्था दी गयी।

इस नईसंशोधित व्यवस्था के अनुसार कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा चिकित्सक चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आधुनिक चिकित्सा हेतु मुख्यचिकित्साधिकारी ,आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी एवं होम्योपैथी चिकित्सा हेतु जिला होम्योपैथी अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीयन आवश्यक रूप से करायेंगे तथा उन सभी नियम एवं शर्तो का पालन शत प्रतिशत पालन करेंगे जो उनको दी जाये।

इस तरह से हर चिकित्सा पद्धति के लिए अपने अपने विभाग के अधिकारियों के यहां अपना पंजीयन करना आवश्यक है चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अभी तक कोई विभाग निर्धारित नहीं है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्यचिकित्साधिकारी के कार्यालय में ही प्रेषित करें।

हम पिछले दो वर्षो से अपने हर चिकित्सक को प्रेरित कर रहे है कि वह अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां अवश्य करें और प्राप्ति की रसीद अपने पास अवश्य रखे, नहीं तो लखीमपुर जैसी परेशानी कभी भी किसी को हो सकती है।

जब शासन ने एक व्यवस्था दे रखी है तो उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है ।

2 जून–कुछ को ही याद रहा

2 जून इस दिन की याद हम आपको इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि यह दिन भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की महत्वपूर्ण तिथियों में से एक महत्वपूर्ण तिथि है यह एक संयोग है कि अभी भी लोग इस दिन की उपयोगिता और महत्ता को समझ नहीं सके है अधिकांश लोग तो शायद इस तिथि के बारे में जानते ही नहीं होंगे और यदि जानते होंगे तो उनके दिमाग से यह दिन विस्मृत हो चुका है तभी तो इस वर्ष यह कार्यक्रम कुछ जगहों पर ही महज रस्म अदायगी के रूप में मनाया गया है जिन लोगो के पास इस दिन को मनाने का "ण्ड" भेजा गया उसमें से अधिकतर लोगो ने या तो यह कह कर दिवस मनाने की चर्चा की कि वे इस दिन को भूल गये थे आप ने अच्छा किया जो याद दिला दिया शायद हमारे पाठक भी इस दिन को भूल गये होंगे तभी किसी भी चिकित्सक ने इस दिन की चर्चा नहीं की एक बार हम पुनः आप से इस दिन की चर्चा कर लेना चाहते है हम सभी जानते है कि पूरे विश्व में हर एक महत्वपूर्ण घटना को याद रखने के लिए दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किये जाते है और उस घटना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ संकल्प भी लिये जाते है इन संकल्पों पर वर्षपर्यन्त कार्य करते हुए अगले वर्ष की योजना बनायी जाती है चिकित्सा के क्षेत्र में हर बीमारी के लिए कोई न कोई दिवस निश्चित है जैसे अस्थमा–डे, एड्स –डे, टी.बी. दिवस, बाल प्रतिरक्षण दिवस, मातृशिशु कल्याण दिवस आदि आदि दिवस विभिन्न तारीखों में मनाये जाते है इनके मनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वह यह है कि जन सामान्य के मध्य इस दिवस की चर्चा हो और समाज को इससे क्या लाभ है और जनता को इस दिवस से क्या शिक्षा दी जा सकती है इसी उद्देश्य को लेकर दिवसों को मनाने की योजना बनायी गयी होगी। 2 जून विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 21 जून 2014 को लिया गया था कानपुर में 21 जून का एक कार्यक्रम चल रहा था इस कार्यक्रम में काफी संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के साथ साथ कुछ प्रबुद्ध जन, सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ राजनितिज्ञो के साथ साथ जिम्मेदार इलेक्ट्रो होम्योपैथ संस्था संचालक भी थे उसी कार्यक्रम में एक प्रस्ताव लाया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए क्यों न एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाये जो कि पूरे विश्व में एक ही तारीख को आयोजित हो इस पर उपस्थित जन समूह ने एक स्वर से समर्थन दिया अब बात आयी कि वह कौन सा महत्वपूर्ण दिन हो जिस दिन यह कार्यक्रम समूचे विश्व में एक साथ आयोजित हो। आपसी चर्चा के बाद 21 जून की तिथि सर्वसम्मति से तय की गयी 21 जून की तिथि इस लिए तय की गयी थी क्योंकि 21 जून 2011 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रथम आदेश पारित किया गया था। 21 जून 2011 का आदेश महत्वपूर्ण आदेश है जो पूरे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी इस तिथि पर तालियों की गडगडाहट की मुहर ही लगी थी कि मंच पर बैठे एक वरिष्ठ समाज सेवी व इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रबल समर्थक ने बहुत ही अकाट्य तार्किक बात रखी जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं था उनका तर्क था कि 21 जून को माननीय मोदी जी के प्रयासों से विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से मनाने का समर्थन प्राप्त हुआ है जिस कारण यह दिन योग के रूप में जाना जायेगा। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क था कि जब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत वर्ष में अस्तित्व में आयी है तब से लेकर आज तक भारत सरकार का यह प्रथम एतिहासिक आदेश है इसलिए इसकी महत्ता पर दूसरा जोड़ नहीं लगना चाहिये आम सहमति के बाद 2 जून की तिथि निश्चित की गयी इस दिन की अपनी अलग महत्ता है जिसके बारे में गजट के माध्यम से काफी कुछ लिखा गया है। इस वर्ष 2 जून गया पर अब हमें संकल्प लेना चाहिये कि 2 जून 2017 इस तरह से मनाया जाये कि लगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जुड़े लोग कितने जागरूक है इस दिवस को मनाने की जिम्मेदारी जितनी शीर्ष संस्था संचालको की है उससे कम हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक की नहीं है 2 जून का प्रसार हो यही हमारी कामना है।

हर कोई राष्ट्रीय बनना चाहता है

इन दिनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हर किसी को राष्ट्रीय बनने का शौक पैदा हो गया है जिन्हें मुहल्ले में कोई नही पूछता वह भी राष्ट्रीय बनने का सपना पाले है सपना पालना बुरी बात नहीं है लेकिन सपने को सच करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर सभाली है तब से राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वाला यह सपना पालने लगा है कि एक चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो वह क्यों नहीं, बात बनने या न बनने की नहीं होती है बात होती है कि उस सर्वोच्चता तक पहुचने के लिए उस व्यक्ति द्वारा कितना प्रयास किया गया और वह व्यक्ति किस समूह व संगठन से आता है उस संगठन का समाज में क्या प्रभाव है इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना ध्वज सम्मान के साथ फहरा रही है लेकिन यह कितने प्रयासो और कितने समर्पण के बाद हुआ है इसको भूलकर राष्ट्रीय बनने का स्वप्न देखने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इन नेतृत्वकर्ताओ को सोचना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास भारत वर्ष में लगभग 100 वर्षो से अधिक का है चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के लिए लाभकारी विषय नहीं रहा है इसलिए जो कुछ भी इतिहास में अंकित है वह सर्वथा सत्य है। इतिहास से छेड़छाड़ वहां होती है जहां लाभ हानि का प्रश्न होता है। हॉ इधर कुछ दिनो से हमारे कुछ नवोदित साथियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है इस छेड़छाड़ के पीछे उनका मकसद है जन सामान्य के बीच में स्वयं को चर्चा में रखना और ऐन केन प्रकारेण अपने राष्ट्रीय बनने के स्वप्न को पूरा करने का अपने इस सपने के पूरा करने के लिए अब नया पैतरा अपनाना शुरू कर दिया है वह यह है कि अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ बुर्जुग इलेक्ट्रो होम्योपैथों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया है इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि मैटी के जन्म और मृत्यु पर ही सवाल पैदा कर दिया है जो तिथियां वर्षो से सर्वमान्य चली आ रही है उन पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा किया जा रहा है और तो और मैटी के सिद्धान्त पर भी सवाल उठाये जा रहे है लोगो को बताया जा रहा है कि अभी तक आपको जो कुछ भी बताया गया था वह गलत था हम जो कुछ आज बता रहे है वही सत्य है इस सबके पीछे एक ही लक्ष्य है वह यह है कि किसी न किसी तरह से अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाये जो संगठन एक प्रदेश में ठीक से काम नहीं कर रहे है वे पूरे देश में काम करने का दावा करते है और उन्ही दावों को पूरा करने के लिए ऐसा कर बैठते है जो उनके लिए ही नही बल्कि समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत के लिए घातक हो जाता है इसका जीताजागता उदाहरण पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में देखने को मिला एक संस्था संचालक जो तेलंगाना में कार्य करते है पता नहीं उन्हें तेलंगाना में भी काम करने की अनुमति है या नहीं उन्हें न जाने क्या सूझी कि उत्तर प्रदेश में काम करने चले आये आज के परिवेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा उपजाऊ उर्वरा प्रदेश समझा जा रहा है जिसे कही मौका नहीं मिलता वह उत्तर प्रदेश में आ जाते है और जो जीवन भर उत्तर प्रदेश में रहे यही फले फूले उन्हें आज दिल्ली रास आ रही है कुछ ऐसे भी है पूरे देश में काम करने के लिए जमीन तलाश रहे है लेकिन शायद मनमाफिक जमीन नहीं मिल पा रही है। एक और है जिनकी स्थापना कोलकाता में है पर काम उत्तर प्रदेश में कर रहे है ऐसे लोग नित नये विवादो को जन्म दे रहे है और इन विवादों को निपटने के लिए जिस तरह की कार्यशैली अपनायी जा रही है वह और भी ज्यादा घातक है चिकित्सा व्यवसाय करना एक सम्मानित और विधि सम्मत ढंग से किया जाने वाला कार्य है हम बार बार लिख कर यह बता चुके है कि चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य के कानून ही प्रभावी होते है जो जिस राज्य का है उसे अधिकारपूर्वक कार्य करने का अधिकार उसी राज्य में है। ऐसा नहीं है कि वह दूसरे राज्य में कार्य नहीं कर सकता है दूसरे राज्य में कार्य करने के लिए उस राज्य के प्रचलित नियमों और कानूनों का यदि हम पालन करते है तो कार्य करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन कार्य करने का राष्ट्रीय अधिकार पाने के पहले स्वयं को किसी राज्य का अधिकारी बनना होगा राज्य प्राथमिक इकाई है जहां से होकर राष्ट्रीय बनने की राह निकलती है आन्दोलन तो राष्ट्रीय होते है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाता है परन्तु जो कार्यक्षेत्र राज्य का है उसे राज्य में ही सम्पादित किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि तेलंगाना राज्य के लिए तेलंगाना वासियों ने ही आन्दोलन किया था, उत्तराखण्ड बनवाने के लिए उसी क्षेत्र के नागरिकों ने आन्दोलन किया था न कि दूसरे राज्यों के नागरिको ने। यहां लिखने का तात्पर्य यह है कि जो घटना जहां घटती है उसका शमन भी वहीं से होता है कानून के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है हर कार्य भीड़ तन्त्र से नही किये जा सकते है पिछले दिनो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जो कुछ भी घटा वह कोई नई बात नहीं है सामान्य सी कानूनी जानकारी लेने की घटना थी एक छोटी सी तहसील में दो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विद्यालयों का संचालन हो रहा था जिनके नाम से ऐसा अभास होता है कि कोई बड़ा मेडिकल कालेज चलाया जा रहा है जांचकर्ताओ ने विद्यालयों की जांच में विद्यालय से सम्बन्धित अधिकारिता की जो जानकारी मांगी वह नहीं दी गयी एक प्रबन्धक ने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया दूसरे ने जानकारी देने में हीलाहवाली की जांच कर रहे अधिकारियों ने दोनो विद्यालयों को जो नोटिसे जारी की है उस में उन्होने तीन दिन में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था यह मामला शुद्ध रूप से पंजीकरण का मामला है और इसी पंजीकरण का उल्लेख नोटिस में किया गया है हम पिछले दो वर्षो से गजट के माध्यम से लगातार लोगो को जागरूक करने का प्रयास कर रहे है कि हमारे चिकित्सक जागरूक हो और पंजीयन का आवेदन करके विधि सम्मत ढंग से अधिकार पूर्वक कार्य करें परन्तु हमारे चिकित्सकों आज भी पता नहीं किन विचारों में खोये है लखीमपुर की घटना से उन्हें सबक लेना चाहिये और यथाशीघ्र पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित कर देना चाहिये। लखीमपुर की घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जमकर उछाली गयी उसपर तरह तरह की चर्चा की गयी लोगो ने अपने अपने स्पष्ट विचार दिये लेकिन घटना के शमन के लिए जो उपाय करने को कहे गये वह कहीं से भी उचित नहीं लगते है। एक संगठन ने लोगो से आवाहन किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग घटना वाले शहर के मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो और अपनी आवाज बुलन्द करें इस आवाहन में चतुराई है जो दिन नियत किया गया था वह दिन था रविवार और यह सभी लोग जानते है कि प्रदेश में सरकारी दफतर रविवार को बन्द रहते है बन्द कार्यालय के बाहर शक्ति प्रदर्शन का क्या लाभ यह तो वहीं जानते है जिन्होने यह दिन निश्चित किया है इसके पीछे कुछ हो या न हो लेकिन राष्ट्रीय बनने की ललक जरूर रही है। एक और है जो अपने आप को राष्ट्रीय घोषित कर चुके है उन्होने अपील की कि अधिक से अधिक लोग शासनादेश की कापी मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें पहली बात हर मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जारी शासनादेश से परिचित है लेकिन उस शासनादेश का पालन कैसे होना है और कैसे करवाना है यह हर अधिकारी जानता है शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य भारत सरकार द्वारा पारित 25 नवम्बर 2003 के आदेशानुसार ही किया जा सकता है अब जो लोग कार्य कर रहे है उन्हें यह स्वयं तय करना है कि वे 25 नवम्बर 2003 के आदेश का कितना अनुपालन कर रहे है प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से डिग्री स्तर के कोर्स चलाने व मास्टर व बैचलर डिग्री देने पर प्रतिबन्ध के साथ साथ डाक्टर शब्द का लिखने पर भी निषेध है। हमारे नेताओं को इन चीजो पर गम्भीरता से विचार करते हुए नेतृत्व करना चाहिये। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण हो हमें किसी के राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय होने से परहेज नहीं है।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिकृत

एवं

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत

तथा

महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा संचालित

F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) अर्हता 10+2 अथवा समकक्ष

एवं

A.C.E.H. अवधि 1 सेमेस्टर — अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल अथवा पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण चिकित्सक

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु

जनपद आगरा, मथुरा, मैनपुरी, हाथरस, एटा, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, संभल, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, सीतापुर में इच्छुक व्यक्ति/संस्थाओं से आवेदन आमन्त्रित हैं।

आवेदन पत्र एवं विस्तृत विवरण हेतु

बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in पर log in करें

मेम्बरशिप ऑफ् बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक (M.B.E.H) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय कसौटी पर खरा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अधिकांश विवाद शिक्षण के क्षेत्र से ही आते है आज पूरे देश में अधिकार पूर्वक तो सिर्फ एक ही संस्था कार्य कर सकती है। दिल्ली की एक संस्था भी अपने आप को अधिकारी घोषित करती है और कार्य भी कर रही है सत्य तो यह है इनके अलावा किसी और को विधि सम्मत ढंग से कार्य करने के लिए अभी अधिकार प्राप्त करने की जरूरत है जो लोग अधिकार के लिए संघर्षरत है उनको अधिकार मिले वह भी काम करे परन्तु अनाधिकार चेष्टा कभी भी लाभकारी नहीं होती है देश में बहुत सारी संस्थाये शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है और तरह तरह के प्रमाण पत्र बाट रही है यही प्रमाण पत्र विवादों को जन्म देते है, 1998 के पहले तक पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम विभिन्न सस्थाओं द्वारा संचालित किये जाते थे। जो उपाधियां वितरित की जाती थी उनके नामकरण भी विधि सम्मत ढंग से स्थापित किये गये थे पूरे देश में एम.बी.ई.एच. सर्वाधिक प्रयोग किये जाने वाला शब्द था इसका पूर्ण नाम बैचलर आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन दूसरा शब्द था बी.ई.एम.एस. इसका पूर्ण नाम था बैचलर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल सिस्टम।

कुछ लोग बी.एम.ई.एच. कोर्स भी चलाते थे डिपलोमा स्तर का पाठ्यक्रम एफ.एम.ई.एच.और एल.एम.ई.एच.भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संचालित हो रहे थे कही पर कोई विवाद न था समय बदलता– स्वरूप बदलता है तो कार्य करने की पद्धति भी बदल जाती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन ने जोर पकड़ा पूरे देश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की मांग उठने लगी जगह जगह पर धरनो,प्रर्दशनो और आन्दोलनो के माध्यम से सरकार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने का दबाव बनाये जाने लगा जब सरकार पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय ने सकारात्मक भूमिका अपनाते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा तय करने के लिए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में विधि सम्मत ढंग से कार्य हो इस हेतु 18 नवम्बर 1998 को दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका में महत्वपूर्ण व एतिहासिक निर्णय देते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए दिशा निर्देश के साथ साथ यह भी आदेश दे डाला कि आज से पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जब तक मान्यता नहीं मिलती है स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे संक्षिप्त नामो पर भी स्वतः प्रतिबन्ध लग गया जिन संक्षिप्त नामों से उपाधि का बोध होता हो इस क्रांन्तिकारी परिवर्तन ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा बदल दी पूरे देश में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों पर रूकावट आ गयी। सन् 2000 में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने 18 नवम्बर 1998 के आदेश को यथावत रखा । इस दौरान मान्यता की मांग ने केन्द्र सरकार की नाक में दम कर रखा था उधर केन्द्र सरकार को 18 नवम्बर 1998 के आदेश के अनुपालन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाना था। केन्द्र सरकार ने मान्यता की मांग और कानून बनाने की बाध्यता का घालमेल करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जिसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अपने विशेषज्ञ राय देनी थी इस कमेटी ने 25 नवम्बर 2003 को अपनी जो राय सरकार को प्रस्तुत की उसमें स्पष्ट लिखा है कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से डिग्री व डिपलोमा स्तर के कोर्स संचालित नहीं किये जा सकते साथ ही डाक्टर शब्द के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया।

इस आदेश के आते ही पूरे देश मे इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्था संचालको के मध्य एक नई व्यवस्था के तहत कार्य करने का रास्ता था यह अलग बात है कि 25 नवम्बर 2003 के आदेश के गलत व्याख्यित होने के कारण पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अघोषित बन्दी की सी स्थिति पैदा हो गयी और उत्तर प्रदेश में शासन द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी शीर्ष संस्थाओं के पजीकरण के आवेदन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तस्वीर बदल कर रख दी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संचालित हो रही संस्थाये बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 को छोड़कर सभी बन्द हो गयी एक बार पुनः स्मरण करा दें कि अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0पी0वर्मा मुख्य सचिव व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में सिर्फ प्रदेश की एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्था बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के पक्ष में 4 जनवरी 2012 को उ0प्र0शासन द्वारा शासनादेश जारी किया गया है और यही एक मात्र संस्था है जो अधिकारपूर्वक कार्य करने की अधिकारी है।

बोर्ड की अधिकारिता को देखते हुए पूर्व में जो संस्थायें प्रदेश में संचालित हो रही थी उन्होने अधिकारिता पाने के लिए तरह तरह के हथकण्डे अपनाने शुरू कर दिये जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे उन्होने बलात काम शुरू कर दिये और अपने पाठ्यक्रम को जो नामकरण दिया वह विवादों को जन्म दे रहा है आज जो संस्थायें बी.ई.एम.एस. नाम वाले पाठ्यक्रम संचालित कर रहे है वे अपने इन संक्षिप्त नामो का सही सही स्वरूप भी नहीं बता पा रहे है कुछ लोग बी शब्द को बैचलर से जोड़ते है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए फिल हाल प्रतिबन्धित है कुछ लोग बी शब्द के बारे में बेसिक शब्द से उच्चारित करते है यह जानने की बात है कि बेसिक ज्ञान वाला कभी भी चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकता है इस तरह से यह दोनो शब्द ही नित नये विवादों को जन्म देते है जब अन्य संस्थाओं के लोग इस सरकारी निषेधाज्ञा को तोड़ नहीं पा रहे है तो वे बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 द्वारा संचालित हो रहे कोर्स एम.बी.ई.एच. के स्तर पर ही प्रश्न उठा रहे है जो लोग ऐसे सवाल उठाते है उन्हें अपना ज्ञान वृद्धि कर लेना चाहिये कि जब तक मान्यता नहीं मिलती तबतक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेम्बरशिप स्तर के पाठ्यक्रम संचालित होंगे एम.बी.ई.एच पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा जारी 21 जून 2011 व प्रदेश सरकार द्वारा जारी 4 जनवरी 2012 का शासनादेश इस पाठ्यक्रम को अनुमोदित करता है। मेम्बरशिप शब्द को लेकर जो लोग भ्रम पैदा करते है उन्हें यह जानकारी होनी चाहिये कि फैकल्टी आफ होम्योपैथी इंग्लैण्ड द्वारा मेम्बरशिप पाठ्यक्रम ही संचालित किया जाता है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है। इस तरह से एम.बी.ई.एच. पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के समतुल्य है। तकनीकी के क्षेत्र में इन्सटीट्यूट आफ इंजीनियर्स इण्डिया द्वारा मेम्बरशिप पाठयक्रम संचालित होते है। अन्तर्राट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व कम्पनी सेक्रेट्रीज पाठ्यक्रम भी मेम्बरशिप पाठ्यक्रम है अब ऐसे लोग अपने ज्ञान में वृद्धि करके अनर्गल प्रलाप करना बन्द कर दें एक और महत्वपूर्ण जानकारी ले लें इस लेख में जो पाठ्यक्रम उदघ्त किये गये है उनका संचालन संस्थाओं द्वारा किया जाता है न कि विश्वविघालय द्वारा। इस तरह से यह बात तय हो चुकी है कि केवल प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण देश में डिग्री या ऐसे शब्द जो डिग्री का बोध कराते हो, वाले पाठ्यक्रम नहीं संचालित हो सकते है कुछ संस्थायें अभी भी एम.डी.ई.एच.पाठ्यक्रम संचालित कर रही है जो किसी भी तरह के वैधानिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते है ।

यदि हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो हम सबको चाहिये कि वैधानिकता से कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास करे और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी नये विवाद का जन्म हो धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हर समस्या का समाधान होता जा रहा है प्रदेश स्तर पर तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो चूकी है राष्ट्रीय स्तर पर इसके स्थापित होने का प्रयास होना चाहिये। देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने भी नेतागण है उन्हें आपसी मतभेद भुलाकर एक बार सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास की बात करनी चाहिये चूंकि यदि चिकित्सा पद्धति का विकास होता है तो उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का विकास होने लगता है। चूंकि किसी भी चिकित्सा पद्धति का भरपूर विकास उसकी शिक्षण व्यवस्था पर निर्भर करता है जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में उतरता है तब उसकी शिक्षा ही काम आती है ज्ञान के आधार पर ही चिकित्सक अपनी प्रतिभा का प्रर्दशन करता है और धन यश के साथ साथ पद्धति का विकास भी करता है। इसलिए आज जो पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है उनके स्तर पर भ्रम पैदा करने से अच्छा है कि इन पाठ्यक्रमों को और गुणवत्ता युक्त तथा स्तरीय बनाने का प्रयास हो।

मेडिकल शिक्षा के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही एक मात्र विकल्प

प्रदेश में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में छात्र मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए लालयित रहते है इस हेतु वह तरह तरह का प्रयास करते है उत्तर प्रदेश मे राजकीय मेडिकल कालेजो मे प्रवेश पाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्बाईन्ड प्रि मेडिकल टेस्ट में हजारो की संख्या में छात्र आवेदन प्रेषित करते है और वरीयता के आधार पर क्रमशः एलोपैथी, दन्त चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेजो मे प्रवेश पाते है जो इस वरीयता श्रेणी में नहीं आते है वे प्राईवेट मेडिकल कालेजों आयुर्वेदिक यूनानी व होम्योपैथिक कालेजों में प्रवेश के लिए भाग्य अजमाते है यद्यपि सरकारी कालेजो की तुलना में इन कालेजो की फीस बहुत ज्यादा होती है सामान्य व्यक्ति इनका वहन कर पाने वह सम्भव नहीं होता । परिणाम यह होता है कि ऐसे बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स करके अपनी इच्छा को पूरा करते हुए अवैध ढंग से प्राईवेट मेडिकल प्रैक्टिस करते है इस वर्ष तो प्रदेश में ऐलोपैथी के अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदिक व यूनानी में प्रवेश एक समस्या है चूंकि इन कोर्सों के लिए कोई केन्द्र स्तरीय परीक्षा की व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर NEET (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) लागू होने से प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन बन्द हो चुका है ऐसे में मेडिकल शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के सामने एक समस्या खड़ी हो गयी है ऐसे में प्रदेश के छात्रों के सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प के रूप में है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भारत सरकार द्वारा 21 जून 2011 व प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी 2012 को शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा व चिकित्सा की सहमति प्रदान कर दी है इच्छुक छात्र छात्राओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये ।

भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट

पान दरीबा ,जौनपुर

द्वारा आयोजित

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का सम्मान समारोह एवं सेमिनार

दिनांकः– 10 जुलाई 2016 दिन– रविवार मध्यान्ह 12 बजे

स्थान– भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट परिसर,पान दरीबा जौनपुर ।

में

आमंत्रित

डा0 एम0 एच0 इदरीसी
चेयरमैन
बोर्ड आफ इ0हो0मेडिसिन उ0प्र0

डा0 डी0 पी0 यादव
अपर मुख्यचिकित्साधिकारी,
बलिया

डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी
राष्ट्रीय महासचिव
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया

डा0 हर्ष मौर्य
अहमदाबाद

डा0 अशोक शर्मा
अर्क इण्डिया,मुम्बई

श्री कपिल मौर्य
वरिष्ठ पत्रकार

के विचारो को सुने एवं सम्मानित हो रहे चिकित्सकों एवं पत्रकारों का उत्साहवर्धन करें। आपकी उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता है।

निवेदक
डा0 पी0 के0मौर्या

नोटः– कार्यक्रम सम्बन्धी सभी जानकारियो के लिए डा0 प्रमोद कुमार मौर्या से मो0 नम्बर 9451162709 पर सम्पर्क कर सकते है।

बोर्ड के विद्यालयों/स्टडी सेन्टरों के प्राचार्यो व प्रबन्धकों की बैठक सम्पन्न

सत्र 2016–17 में छात्रों की प्रवेश संख्या किस तरह से बढ़ाई जाये व लोगो के मन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए विश्वास जाग्रत किया जाये इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के प्रशासनिक कार्यालय 127/204 एस जूही कानपुर में बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों एवं स्टडी सेन्टरो के संचालको एवं प्राचार्यो की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई बैठक का प्रारम्भ करते हुए डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि आज हम पहली बार अपने निजी भवन में यह बैठक कर रहे है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिए यह गौरव का विषय है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 का यह निजी भवन बनकर तैयार है इस भवन में कार्यालय के साथ साथ एक सभागार का निमार्ण भी करवाया गया है जिसमें एक साथ लगभग 70 व्यक्ति बैठकर कोई भी मीटिंग कर सकते है छोटे छोटे कार्यक्रमो के लिए अब हमें वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है साथ ही साथ इस भवन में दो अतिथि कक्षो का निर्माण भी प्रस्तावित है जिसका लाभ यह होगा कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति यहां रात्रि विश्राम भी कर सकता है। डा0 बाजपेयी ने बताया कि यह वर्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम करने का अच्छा अवसर प्रदान कर रही है प्रदेश में सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा नहीं हो रही है हमें इसका लाभ उठाना चाहिये। बोर्ड के प्रभारी रजिस्ट्रार डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने बारी बारी से सभी प्राचार्यो से प्रवेश सम्बन्धी तैयारी की जानकारी ली। फिर डा0 मिश्रा ने सफलता हासिल करने के लिए योजना बतायी डा0 मिश्रा के अनुसार किसी भी कार्य के लिए भूमि, पूंजी,श्रम,संगठन एवं साहस की आवश्यकता होती है आपके सब के पास यह पांचो चीजो है लेकिन आप इनका प्रयोग नहीं कर रहे है प्रयोग के लिए श्री मिश्रा ने कहा कि हर व्यक्ति एक डायरी बनाये और कम से कम दो सौ अपने परिचितों के नाम लिखे और प्रत्येक रविवार को कम से कम 4 व्यक्तियों से भेट करें उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के बारे में बताये तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के उज्जवल भविष्य के सम्बन्ध मे जानकारी दें। इस तरह से 52 सप्ताह तक यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाये तो प्रत्येक विद्यालय व स्टडी सेन्टर को कम से कम 50–50 बच्चे अवश्य मिलेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन डा0 एम0एच0इदरीसी ने करते हुए कहा कि सही समय पर यदि कार्य किया जाये तो सफलता अवश्य मिलती है हमारी कामना है कि सभी लोग सफल हो।

बैठक में डा0 एम0 ए0 इदरीसी प्रतापगढ़, डा0 एस0के0पाठक गोरखपुर,डा0 पी0के0 श्रीवास्तव –देवरिया डा0 प्रिन्स श्रीवास्तव महाराजगंज, डा0भूपराज श्रीवास्तव बहराइच,डा0 मुश्ताक अहमद आजगढ़,डा अयाज अहमद मऊ,डा0 हबीब–उर–रहमान बाराबंकी, डा0 इखलाक अहमद इटावा, डा0 इसरार अहमद सिरसागंज,डा0 पी0के0 राघव अलीगढ़,डा0 आर के0 तेवतिया मेरठ डा0 आर0 के0 शर्मा लखीमपुर,डा0 प्रताप नारायण कुशवाहा रायबरेली उपस्थित रहे।

बैठक का संयोजन रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने किया।